तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम

(सं0 एफ.ए / VII / 12–2 / 80–बीजीटी)

सं0 एसआरओ. सी 30 / 86

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (2) के अधीन आवश्यकतानुसार, भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, जलभूतल परिवहन विभाग (पोत पक्ष), नई दिल्ली, द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना को भारत के राजपत्र के भाग–।।, धारा 3 उप धारा (i) में, दिनांक 25 जून 1986 में प्रकाशित को, तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

सा0का0नि0 906 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित 124 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , संलग्नित अनुसूची में निहितानुसार, एतद्द्वारा, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1986 का अनुमोदन करती है।

2 कथित विनियम, सरकारी राजपत्र में , इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा, बनाते हैं, बशर्ते कि ऊपर के अधिनियम की धारा 124 के तहत, केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है :–

1 लघु शीर्ष :

ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1986 कहे जाएँ।

2 परिभाषा :

इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा जरूरत नहीं पडती –

(ए) बोर्ड का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन के लिए बोर्ड के न्यासीगण।

(बी) अध्यक्ष का तात्पर्य, '' बोर्ड के अध्यक्ष '' और महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत उनकी ओर से कार्यभार संभालने हेतु नियुक्त व्यक्ति भी शामिल है।

(सी) कर्मचारी का तात्पर्य, बोर्ड के कर्मचारी और विदेशी सेवा पर के ऐसे कोई भी व्यक्ति या जिसकी सेवा को बोर्ड द्वारा अस्थायी तौर पर माना गया और केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्या प्राधिकारी की सेवा में के कोई ऐसे व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड द्वारा अस्थायी तौर पर माना गया है, शामिल हैं।

(डी) परिवार का तात्पर्य, कर्मचारी का/की पति या पत्नी, जैसी स्थिति हो, और वैध बच्चे, जिसमें दत्तक बच्चे शामिल हैं, जो पूर्णतया ऐसे कर्मचारी पर निर्भर हैं।

(ई) निधि का तात्पर्य, नियम 3 तहत गठित तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि ।

(एफ) सामान्य खाता का तात्पर्य, बोर्ड का सामान्य खाता।

3 निधि का गठन

एक स्थापित निधि होगा, जो कि तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि के रूप में जाना जाएगा और उसमें निम्न को श्रेय दिया जाएगा :

(ए) समय समय पर बोर्ड द्वारा मंजूरीकृतानुसार, बोर्ड के सामान्य खाते से अंशदान, बशर्तें कि इस संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा नियमतानुसार वार्षिक अंशदान और ऐसी अधिकतम सीमा।

(बी) निधि के निवेश पर ब्याज़ एवं लाभ।

(सी) उपहार या दान के जरिए निधि के साथ का कोई अन्य रकम या संपत्ति।

(डी) इन विनियम के प्रभावी होने की तारीख के पहले दिन पर के विद्यमान कल्याण खाते में जमा रही राशि।

4 निधि का प्रशासन :

अध्यक्ष द्वारा निधि का प्रशासन किया जाएगा।

5 निधि से व्यय :

निधि में उपलब्ध पैसे, निम्नलिखित कल्याण उपायों एवं सुविधाओं के लिए प्रयोग किए जाए, अर्थात् :–

(ए) संस्थानें, क्लब, सहकारी समितियाँ या खेल–कूद परिषदों जो कि कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित हैं और उनके खेल–कूद परिषदें जो कि कर्मचारी एवं उनके परिवारों के कल्याण से संबंधित हैं, को दान।

(बी)(i) कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं किताबें प्रदान करना।

(ii) शैक्षिक सुविधाएँ, जिसमें साक्षरता वर्ग हस्तशिल्प की पढाई एवं पढने के कमरे का रखरखाव शामिल है।

(सी) जीवन रक्षा एवं अन्य उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार।

(डी) गंभीर संकट में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता।

(ई) कर्मचारी, जो कार्य निर्वाहन के दौरान दुर्घटना की वजह से आंशिक या स्थायी रूप से अपंग हो गए हैं को कृत्रिम अंग या अन्य एड्स का प्रबंध करना।

(एफ) कर्मचारी के प्रयोग के लिए बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई विशेष दवाओं की लागत की ओर भुगतान।

(जी) कर्मचारियों के लिए खेल–कूद क्रीडाएँ, प्रतियोगिताएँ, नाटक, संगीत, फिल्म, भजन .... इत्यादि एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन करने के लिए ग्रान्टस।

(एच) कर्मचरी, जो कार्यसमय अर्थात् पत्तन क्षेत्र के अंदर, कार्य में उपस्थिति के बाद, खाने के समय या कार्य करने के दौरान मर जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, के परिवारों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(आई) बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार कर्मचारी एवं उनके परिवारों के लिए अन्य कोई कल्याण उपाय तथा सुविधाएँ।

6 निधि का वितरण :

अध्यक्ष की विशेष मंजूरी के अधीन कर्मचारी या उनके परिवारों के जिए कल्याण उपाय तथा सुविधाओं के लिए निधि से चुकाया जाएगा।

7 निधि में अधिकतम रकम :

निधि में अधिकतम रकम रखे जाने की सीमा रु 5,00,000 (रुपया पाँच लाख) हो सकती है।

(सा0का0नि0 सं0431 (असा0), दिनांकित 6.4.1988)

8 निधि में अधिशेष को निपटान :

निधि में, विनियम (7) में विनिर्दिष्टानुसार अधिकतम सीमा से ज्यादा कोई अधिशेष है तो उसे सामान्य खातों में जमा कर दिया जाएगा।

9 लेखों का रखरखाव :

निधि के प्रशासन के संबंध में, उपयुक्त खातों एवं अन्य संबंधी रिकार्डों का रखरखाव किया जाएगा।

10 निर्वचन :

इन विनियमों से संबंधित किसी भी व्याख्या से संबंधी अगर कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

के.ए.सुन्दरम
अध्यक्ष, तूत्तक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि – 628 004

26 अगस्त, 1986